



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ राजसमन्द में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच (प्रशासक) के विरुद्ध 43,500/- रुपये रिश्वत मांगने का एसीबी ने दर्ज किया प्रकरण।

जयपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति एवं जिला राजसमन्द में पदस्थापित करण सिंह राव, ग्राम विकास अधिकारी एवं भंवर लाल सरगरा, सरपंच (प्रशासक) के विरुद्ध परिवारिया के ग्राम तासोल स्थित बाड़े का पट्टा बनाने की एवज में 43,500/- रुपये रिश्वत राशि मांगने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 218/2026 दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरोपी करण सिंह राव, ग्राम विकास अधिकारी एवं भंवर लाल सरगरा, सरपंच (प्रशासक), ग्राम पंचायत तासोल द्वारा परिवारिया के ग्राम तासोल स्थित बाड़े का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर परिवारिया को लगातार परेशान किया जा रहा था।

शिकायत पर ए.सी.बी. के उप महानिरीक्षक पुलिस—प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण के नेतृत्व में रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपीगण द्वारा परिवारिया से 43,500/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई।

रिश्वत मांग की पुष्टि होने के उपरांत ए.सी.बी. द्वारा ट्रैप कार्यवाही की योजना बनाई गई, किन्तु दोनों आरोपीगण को ए.सी.बी. की कार्रवाई की भनक लग जाने के कारण ट्रैप कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकी। इसके पश्चात आरोपीगण करण सिंह राव एवं भंवर लाल सरगरा के विरुद्ध रिश्वत राशि मांगने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 218/2026, दिनांक 03.08.2026 दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।

ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में मामले का अनुसंधान एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ए.सी.बी. आपके तैय्य कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।